



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 482]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 12, 2005/वैशाख 22, 1927

No. 482]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 12, 2005/VAISAKHA 22, 1927

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 12 मई, 2005

का.आ. 665(अ).—केन्द्रीय सरकार, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सुश्री कामेश्वरी सुब्रह्मण्यम, संयुक्त सचिव, भारत सरकार को, उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए विशेष रूप से सशक्त करती है।

[फ. सं. 671/18/2001-सी.शु. VIII]

एन.एम. कृष्णन, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

ORDER

New Delhi, the 12th May, 2005

S.O. 665(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974), the Central Government hereby specially empowers Ms. Kameswari Subramanian, Joint Secretary to the Government of India, for the purpose of the said Section.

[F. No. 671/18/2001-CUS. VIII]

N. M. KRISHNAN, Dy. Secy.